पुस्तकालय

2338
3-8-02

असंशोधित

19 JUL 2002

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

खण्ड-१

(भाग २—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर रहित)

वि० स० मु० (एल०,ए०) 86—मोनो—1000—16-3-2002—,

श्री नंद किशोर यादव : अध्यक्ष महोदय, आज चार दिन से पटना सिटी में पन्नालाल भरतिया महिला महाविद्यालय की छात्रायें विज्ञान की पढ़ाई प्रारम्भ करने के लिए लगातार कोशिश होती रही हैं, पहली बार लड़कियाँ सड़कों पर उतरी हैं। मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहता हूँ कि इन लड़कियों के पढ़ाई के सवाल पर, पन्नालाल भरतिया महिला महाविद्यालय में विज्ञान की पढ़ाई प्रारम्भ करने का आदेश दें। बच्चियाँ बहुत उग्र हैं, जहाँ बच्चियाँ पढ़नी चाहती है वहाँ पढ़ने की व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है इससे दु:खद बात और क्या हो सकती है।

अध्यक्ष : ठीक है।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

अध्यक्ष : आज दिनांक, 19 जुलाई, 2002 के लिए निम्नलिखित माननीय सदस्यों द्वारा कार्यस्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी गयी है। सूचना संक्षेप में निम्नप्रकार है :-

श्री गणेश पासवान – भागलपुर जिला के शाहकुण्ड प्रखंड प्रखंड के अन्तर्गत ग्रामीण पथ रसूल्ला में सिंचाई सह यातायात पुल निर्माण के संबंध में,

श्री पन्न लाल सिंह पटेल – बेलदौर प्रखंड में पी० डब्लू० डी० रोड के मरम्मति के संबंध में।

श्री राम प्रवेश राय – डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के संबंध में,

श्री विनोद कुमार सिंह– कटिहार जिला में चार दिनों से बिजली नहीं रहने के संबंध में।

श्री प्रेम कुमार – मगध विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों में स्नातकोत्तर पढ़ाई शुरू कराने के संबंध में।

श्रीमती भागीरथी देवी – पश्चिम चम्पारण जिला के वन प्रमंडल बेतिया में सखुआ, सागवान, शीशम का अवैध कटाई रोकने के संबंध में।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव – सम्पूर्ण राज्य के लगभग नौ लाख हेक्टर जमीन में जल-जमाव के कारण खेती नहीं होने के संबंध में।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल – सारण जिला के ब्रह्मपुर से रेवाड़ी, चतरा, नौतन होते हुए [illegible] आनेवाली ढोल नदी की सफाई के संबंध में।

श्री अश्विनी कुमार चौबे – वित्त रहित शिक्षा नीति एवं संस्कृत तथा मदरसा शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं होने के संबंध में।

आज सदन में बिहार विनियोग (सं०-3) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित कर इसकी स्वीकृति होगी। साथ-ही उपरोक्त प्रस्तावों में कोई भी प्रस्ताव कार्य-स्थगन लायक नहीं है। अतः इन कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अमान्य किया जाता है।